राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांकः 11 (3)(1)/ मो./ आईसीडीएस/2013–14 |17285-289 जयपुर, दिनांक 15/11/18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
सिरोही, उदयपुर,चित्तौडगढ,
राजसमन्द एवं प्रतापगढ।

विषयः– पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक भर्ती हेतु पूर्व में चिन्हीत आंगनबाडी केन्द्रों को संशोधित किये जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2018–19 में नॉन टीएसपी एरिया में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों Nursing Training teacher (NTT) के 1000 पद सृजन किये गये थे। जिसकी अनुपालना में विभाग के आदेश दिनांक 05.04.2018 द्वारा संचालित आंगनबाडी केन्द्रों पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के पद सृजन किये जाने हेतु नामवार आंगनबाडी केन्द्रों की सूची चाही गई थी। लेकिन उक्त आंगनबाडी केन्द्रों के नाम जो चिन्हीत किये गये थे, कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.06.2018 से पूर्व किये गये थे।

कार्मिक विभाग ने दिनांक 01.06.2018 को परिपत्र जारी कर अनुसूचित क्षेत्र को विखण्डित करते हुए पुनः परिनिश्चित किया गया है। जिसकी प्रति इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.07.2018 द्वारा भिजवाई जा चुकी है।

अतः आप द्वारा पूर्व में प्रेषित आंगनबाडी केन्द्र जो नॉन टीएसपी एरिया में थी लेकिन कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 01.06.2018 के बाद जो ऐरिया टीएसपी एरिया में आ गया है उसके स्थान पर नॉन टीएसपी एरिया में संचालित आंगनबाडी केन्द्रों की संशोधित नामवार सूची पूर्व में प्रेषित निर्धारित प्रपत्र के अनुसार दिनांक 20.11.2018 तक विभाग की ई–मेल आईडी jdm.wcd@rajasthan.gov.in पर भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों के 1000 पदों के आंगनबाडी केन्द्रों के नाम पुनः निर्धारण किया जा सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 11 (3)(1) / मो. / आईसीडीएस / 2013–14 197290–303 जयपुर, दिनांक 15-11-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उपनिदेशक प्रशासन, मुख्यालय, जयपुर।
2. संबंधित बाल विकास परियोजनाओं को पत्र प्रेषित कर निदेर्शित किया जाता है कि उक्त सूचना कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 01.06.2018 के अनुसार पुनः निर्धारण कर आंगनबाडी केन्द्रों की नामवार सूची निर्धारित प्रपत्र में उपनिदेशक कार्यालय को 16.11.2018 तक भिजवाना सुनिश्चित करें।
3. उपनिदेशक एसीपी मुख्यालय उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।